राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2467/2011/जैसलमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–जैसलमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वेस्टास आर.आर.बी(ई) लि0,
जैसलमेर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा– सदस्य
श्री अमर सिंह– सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.एम.मेड़तिया,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/01/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 28/आरवेट/बाड़मेर /2010–11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.05.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–तृतीय, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 30.03.2009 को पारित किया गया। जिसमें (1.) रूपये 64,83,137/– का आगत कर सत्यापन के अभाव में स्वीकृत नहीं किया गया। (2.) सिविल कार्य एवं मेटीरियल सप्लाई के बिलों की जांच करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मेटीरियल सप्लाई की कीमत में अनुमानित वृद्धि करते हुए अन्तर कर रूपये 37,71,215/– एवं ब्याज रूपये 1,14,918/– आरोपित किया गया।

उक्त दोनों बिन्दुओं पर आरोपित कर व ब्याज के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2011 से प्रत्यर्थी व्यवहारी की प्रथम बिन्दु पर अपील स्वीकार कर प्रकरण को आगत कर के सत्यापन हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया तथा द्वितीय बिन्दु पर कुल अनुमानित बिक्री रूपये 4,14,55,487/– में से 25 प्रतिशत राशि रूपये 1,03,61,749/– को नियम 22 में उपबन्ध के अनुक्रम में श्रम कार्य हेतु प्राप्त की जानी मानते हुए छूट दी गयी तथा शेष राशि रूपये 3,10,93,738/– में से एक करोड़ को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य एवं शेष को 4 प्रतिशत से कर योग्य माना गया। इस प्रकार रूपये 37,71,215/– में से रूपये 11,60,937/– का अन्तर कर कायम रखते हुये शेष कर रूपये 26,10,278/– को अपास्त कर दिया गया। तथा गणनानुसार ब्याज कम करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण

लागतार.....2

अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त द्वितीय बिन्दु पर रूपये 26,10,278/– के कर को अपास्त करने एवं ब्याज की गणना हेतु प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने के बिन्दु पर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में तर्क दिया कि माननीय अपीलीय अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत से आरोपित कर में से कुछ बिक्री पर यथावत रखा तथा कुछ बिक्री पर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया, जो कि पूर्णतया अनुचित है। यह कि समस्त बिक्री 12.5 प्रतिशत से कर योग्य थी। जिसे बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से 12.5 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत से कर योग्य मानी जाकर कर रूपये 26,10,278/– व उसका ब्याज अपास्त करने में भूल की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एन.एम.मेड़तिया ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है तथा प्रस्तुत बिलों की पूर्ण जांच करने के बाद उनके द्वारा 4 प्रतिशत की बिक्री मानी गयी थी। अतः विभाग की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह अपील विभाग द्वारा पेश की गयी है। जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा 9.5 प्रतिशत से अन्तर कर रूपये 26,10,278/– को व उस पर बने ब्याज को अपास्त करने के विरूद्ध अपील की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमानित बिक्री रूपये 3,44,46,996 + 52,50,000 कुल रूपये 3,96,96,996/– पर 12.5 प्रतिशत से कर आरोपित किया था। उसमें से केवल एक करोड़ रूपये की बिक्री पर अन्तर कर 9.5 प्रतिशत को कायम रखा गया शेष को अपास्त किया गया है। परन्तु अपीलीय अधिकारी ने यह बिक्री 4 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत से कर योग्य बिक्री किस आधार पर मानी गयी इसका उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया है और ना ही अपील पत्रावली से यह प्रमाणित होता है ऐसे में इसका कोई उचित आधार नहीं होने से इस आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने भी अपने आदेश में समस्त बिक्री को 12.5 प्रतिशत की बिक्री किस आधार पर मानी है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विभाग की अपील को स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः जांच कर घोषित बिक्री पर काम में या सप्लाई की गयी वस्तु का निर्धारण करने व उस पर कर दर का उचित निर्धारण करने के निर्देश दिये जाते है। उक्त निर्देशानुसार पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया जावें। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. फलतः विभाग की अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह) 21.1.14
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य